न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1927–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–9–2007 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 183/अपील/2005–06.

मंदिर महालक्ष्मी वाके कस्बा सीतामऊ
द्वारा कृष्णचंद आत्मज रघुवीरलाल
निवासी ग्राम सीतामऊ जिला मंसोर,
हाल मुकार 482 बी कस्तुरबा नगर,
रोड़ नम्बर 7, रतलाम म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर
3. पटवारी ग्राम–सेमलियारानी जिला मंसोर म0प्र0
4. महेश चंद आत्मज रघुवीरलाल जोशी,
   निवासी ग्राम सीतामऊ हाल मुकाम द्वारा प्रमोद ओझा
   29 शंकर बाग मरिमाता चौराहे के पास इन्दौर म0प्र0
5. श्री अखिल आत्मज श्री ईश्वरलाल जोशी,
   निवासी ग्राम सीतामऊ हाल मुकाम द्वारा प्रफुल्ल त्रिवेदी
   रोड़ नम्बर–8, कस्तुरबा नगर रतलाम म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री स्वनिल तेलंग, अभिभाषक आवेदक
श्री मनीश गोयल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २२ मार्च 2016 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 03–9–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री महालक्ष्मीजी मंदिर वास्ते कस्बा सीतामऊ द्वारा कृष्णचंद पिता रघुवीर लाल जोशी की ओर से राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्ठि को दुरूस्त करने तथा तहसीलदार द्वारा की जा रही भूमि नीलामी की कार्यवाही स्थगित किये जाने बावत आवेदन पत्र कलेक्टर मंदसौर को प्रस्तुत किया। कलेक्टर मंदसौर ने आदेश दिनांक 20–6–06 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदन ने आयुक्त उज्जैन संभाग को अपील प्रस्तुत की। आयुक्त ने आदेश दिनांक 03–9–2007 के द्वारा अपील निरस्त की गई तथा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 एवं 5 को विचाराधीन भूमि दान में प्राप्त हुई थी तथा उपरोक्त वर्णित भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य भी इन्हीं के नाम से राजस्व अभिलेखों में चला आ रहा था। अनावेदक कमांक 4 व 5 के पूर्वजों द्वारा ग्राम सीतामऊ में निजी कुलदेवी का मंदिर श्री महालक्ष्मी जी का बनाया तथा उपरोक्त वर्णित भूमि को मंदिर की व्यवस्था के लिए मंदिर श्री महालक्ष्मीजी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा दिया। निगरानीकर्ता की पूर्वजों की उपरोक्त भूमि मंदिर देव स्थान की न होकर निजी भूमि है जिसे पूर्वजों ने अपनी व्यवस्था के चलते अपनी निजी भूमि को अपनी कुलदेवी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया किन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक शासकीय मंदिर/देव स्थानों की भूमियां में व्यवस्थापक में कलेक्टर का नाम दर्ज करने का आदेश कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण आदेश है। यह भी तर्क किया कि शासन द्वारा बिना आवेदक को अपना पक्ष रखे उनकी निजी भूमि जो मंदिर के कृषि खाते

में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, प्रबंधक कलेक्टर दर्ज करने में अवैधानिक कार्यवाही की है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक ने जब संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को सुधारने हेतु आवेदन किया तो कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया तथा आयुक्त द्वारा भी इन बिन्दुओं पर बिना विचार किये अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि शासकीय है जिसपर प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है। इसी कारण कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जिसे आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिवत आदेश दिये हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 4 एवं 5 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि 1981–82 से महालक्ष्मीजी के मंदिर के नाम दर्ज है तथा प्रबंधक के रूप में कलेक्टर दर्ज है। 1981–82 से वर्ष 2006 तक प्रबंधक कलेक्टर मंदिर महालक्ष्मी नाम से चले आ रहे इंद्राज को इतनी लम्बी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। तहसीलदार द्वारा की जा रही नीलामी को रोकने के उद्देश्य से आवेदक ने कलेक्टर को राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्ठि को दुरूस्त करने बावत प्रस्तुत किया था जिसे प्रचलन योग्य नहीं पाने से कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–6–2006 के द्वारा निरस्त किया है। जहां तक आयुक्त के आदेश का प्रश्न है आयुक्त ने

दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने एवं अभिलेख का परिसीलन करने के उपरांत विवरणात्मक आदेश पारित किया है। आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को उचित माना है। आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त उज्जैन संभाग का आदेश दिनांक 03–9–07 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर